पूर्वाग्रह मुक्त शिक्षा और अल्पसंख्यक

स्कूल टीचर्स के लिए
ट्रेनिंग हैण्डबुक

पूर्वाग्रह
मुक्त
शिक्षा
और
अल्पसंख्यक

स्कूल टीचर्स के लिए
ट्रेनिंग हैण्डबुक

योगदानः
सपना चमड़िया
रजनीश एवं
पीस टीम

*इस पुस्तिका में प्रकाशित सामग्री कापीराइट प्रतिबंधों से मुक्त है। इस सामग्री की प्रतियां कराने, वितरित करने या इस्तेमाल करने पर किसी तरह की बंदिश नहीं है।

कवर डिज़ाइन एवं लेआउट
अखिल श्रीवास्तव

मुद्रकः
डिजाइन्स एण्ड डाइमेंशंस
एल/5–ए, शेख सराय, फेज–2
नई दिल्ली–110017
मोबाः 9810686122

प्रकाशकः
पीस
ए–124/6, कटवारिया सराय, नई दिल्ली
फोनः 011–26968121/26858940
ईमेलः peaceact@vsnl.com

वर्षः 2011

भारत

भूमिका

भारत एक धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भाषायी विभिन्नताओं वाला देश रहा है और है। इसके साथ ही साथ भारतीय समाज में कायम यह विभिन्नतायें इसकी विशेषता हैं। विभिन्नताओं की इन विशिष्टताओं के रहते भारतीय समाज में समय–समय पर सामाजिक विकास की सकारात्मक धाराओं को आगे ले जाने की चुनौतियाँ भी मौजूद रही हैं जो आज भी कायम हैं।

इन्ही चुनौतियों में एक प्रमुख चुनौती है स्कूलों में पढ़ने–पढ़ाने के दरम्यान आने वाली बाधायें, जो सांस्कृतिक, धार्मिक विशिष्टताओं के नाते स्कूल टीचर्स के सामने आती हैं। अलग–अलग परिवेश से आने वाले विद्यार्थियों, जो संस्कृति तथा धर्म के आधार पर अपनी अलग–अलग विशेषतायें रखते हैं, को स्कूल में एक साथ पढ़ाने में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं और सामान्यतया इनके प्रति संवेदनशीलता नहीं बरती जाती। स्कूल टीचर भी इसी समाज के अभिन्न हिस्से हैं और इसी समाज के परिवेश में पले, पढ़े तथा बढ़े हैं अतएव उनके ऊपर भी अलग–अलग सांस्कृतिक–धार्मिक मूल्यों, गुणों का प्रभाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

इन हालात को देखते हुए भारत में धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को सशक्त करने के लिए यह आवश्यक है कि स्कूल के स्तर से ही इस पर पहल शुरू की जाय। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 'पीस' ने एक ऐसे 'ट्रेनिंग माड्यूल' तथा 'पठन सामग्री' का निर्माण किया है जिससे यह जाना समझा जा सके कि विद्यार्थियों एवं विशेष तौर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों' को स्कूल में पढ़ाते समय किस किस तरह की बाधायें आती हैं तथा इसमें टीचर्स की क्या भूमिका होती है? इस समस्या को गहराई से समझने के बाद इसके निवारण के लिए किस प्रकार का 'शैक्षणिक हस्तक्षेप' किया जाय, यह हमारे उद्देश्यों में शामिल है।

हमारी यह भी कोशिश है कि इस प्रयास के अंतर्गत स्कूल टीचर्स के बीच लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को स्थापित तथा सशक्त किया जाय।

'अनुभव आधारित सीखने सिखाने की चक्रीय पद्धति' को आधार बनाकर 'सहभागिता' को

केन्द्र में रखकर यह माड्यूल विकसित किया गया है तथा इसमें सम्बन्धित विषयों पर स्पष्टता लाने के लिए कुछ पठन सामग्री भी उपलब्ध करायी गयी है।

इस ट्रेनिंग माड्यूल के साथ जो पाठ्य सामग्री (संदर्भ सामग्री) तैयार की गई है उसको अन्तिम रूप देने से पहले होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) में आयोजित विचार विमर्श में गंभीर बहस की गयी। इस विचार विमर्श में स्कूल टीचर्स, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता तथा शिक्षा के मुद्दे पर कार्य करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों, कुल 140 लोगों ने शिरकत की। बहस के दौरान आये महत्वपूर्ण सुझावों को इन संदर्भ सामग्रियों में शामिल करके इसे और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है।

राजस्थान एवं दिल्ली के स्कूलों के पाठ्यक्रमों में कुछ गंभीर दुराग्रह पूर्ण एवं भ्रामक तथ्य मौजूद हैं अतएव इन राज्यों के स्कूलों का चुनाव पहले दौर में हमने किया।

इसके लिए हमने राजस्थान एवं दिल्ली के स्कूलों तथा समाजसेवी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के टीचर्स के साथ कार्यशालायें आयोजित करके इस विषय को गहराई से समझने का प्रयास किया। विकसित किये गये ट्रेनिंग माड्यूल एंव पठन सामग्री की प्रभावशीलता के बारे में इन्हीं टीचर्स के बीच कार्यशाला आयोजित करके इनकी गुणवत्ता का मूल्यांकन भी किया गया। इस मूल्यांकन कार्यशाला में बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव आये जिन्हें हमने मसौदे में शामिल किया।

इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में समाजसेवी संगठनों, स्कूल टीचर्स, शिक्षाविदों का योगदान अमूल्य रहा है। जयपुर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, मोतीकटला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, घाटगेट, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, आदर्श नगर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बाबू का टीला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मुरलीमनोहर जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बाड बागपुरा चाकसू, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बडली, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, संवलिया, रहमानी मॉडल सीनियर सैकण्डरी स्कूल रामगंज के साथ ही साथ जयपुर (राजस्थान) के सामाजिक, नागरिक संगठनों दिगन्तर, संभव, बीजीवीएस, विहान, पीयूसीएल तथा दिल्ली के समर फील्ड स्कूल, द बनयान ट्री स्कूल, सेंट पाल डी. स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, के.आर. मंगलम वर्ल्ड स्कूल, कारमेल कानवेंट स्कूल, डी.एल.एफ. पब्लिक स्कूल, प्रेजेन्टेशन कानवेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल एस.जे. इन्क्लेव, टैगोर इन्टरनेशनल स्कूल, न्यू होराइजन स्कूल, दीपालय स्कूल, दीपालय फार्मल स्कूल, एअरफोर्स बालभारती स्कूल, संस्कृति स्कूल, दिल्ली पुलिस स्कूल, नवजागृति कलेक्टिव आदि स्कूलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं इन स्कूलों के टीचर्स, प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ सामाजिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों तथा शिक्षा के मुद्दे पर कार्य करने वाले विद्वानों जिनके सहयोग के बिना यह कार्य संभव न हो पाता, के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

और अन्त में मैं सलाहकार परिषद के टी.के. ओमेन, अजय कुमार, पूर्वा भारद्वाज, इम्तियाज अहमद, कविता श्रीवास्तव, अनुराधा सेन, मुकुल प्रिया, अपूर्वानन्द, अच्युत याज्ञनिक, अशोक माथुर, इश्तियाक अहमद, विनोद रैना, एन. के. रैना, गीतांजलि काला का विशेषतौर पर आभारी हूँ जिनके सहयोग तथा महत्वपूर्ण सलाह से यह कार्य कर पाना संभव हो पाया।

डा. जितेन्द्र चाहर, दिव्या साहू, राकेश भारद्वाज और डालिया कार का सहयोग विशेष रूप से सराहनीय रहा है। हम राजस्थान के मुख्य शिक्षा सचिव ललित के. पवार का भी आभार व्यक्त करते हैं जिनका योगदान हमारे लिए अत्यन्त ही महत्वपूर्ण था। श्री पवार ने समय निकाल कर जयपुर में आयोजित शिक्षकों की कार्यशाला में भी अपना अमूल्य योगदान किया।

इसके साथ ही साथ हम महत्वपूर्ण सहयोग के लिए श्री अभय सिन्हा, पीयूष पन्त, शिराज एहसेन, सत्यदीप और अन्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

माइनारटी राइट्स ग्रुप इण्टरनेशनल (एम.आर.जी., लंदन) ने इस प्रक्रिया तथा ''एशिया में बहुलतावाद एवं विभिन्नता : शैक्षणिक हस्तक्षेप तथा प्रशिक्षण के जरिये धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण'' परियोजना को आगे बढ़ाने में जो सहयोग किया है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिना इस सहयोग के यह कार्य सम्पादित कर पाना असंभव होता। हम 'माइनारटी राइट्स ग्रुप इण्टरनेशनल' के भी आभारी हैं।

अपने उद्देश्यों की तरफ यदि यह 'ट्रेनिंग माड्यूल' तथा 'पठन सामग्री' (संदर्भ सामग्री) कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखे तो हम अपने प्रयास को सार्थक समझेंगे।

अनिल चौधरी

पॉपुलर एजुकेशन एण्ड एक्शन सेंटर (पीस)

''स्कूल पाठ्यक्रम'' की समीक्षा

यह बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य है कि आजादी के 64 साल बाद भी देश के ज्यादातर हिस्सों में अल्पसंख्यकों के प्रति अंध एवं तीखी साम्प्रदायिक दुर्भावना कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा योजनाबद्ध ढंग से फैलाई जा रही है। यह देश के धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक गंभीर चुनौती है। इस अध्ययन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर.एस.एस.) जो एक हिन्दूवादी राजनीतिक– धार्मिक संगठन है, उसके द्वारा स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से साम्प्रदायिक विचारधारा को बढ़ावा देने के प्रयास पर प्रकाश डाला गया है। साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार–प्रसार ही आर.एस.एस. और इससे संबद्ध संगठनों का उदेश्य है। इस सोची समझी चाल के तहत बच्चों की सोच को साम्प्रदायिक तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह कार्यक्रम केवल राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के लिए ही नहीं है अपितु यह राज्य की विधायिका, नौकरशाही, शैक्षिक संस्थाओं, मीडिया, पुलिस और सुरक्षा बलों जैसे संस्थानों पर साम्प्रदायिक वर्चस्व कायम करने का भी अभियान है। आर.एस.एस. अपने वैचारिक काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और जब उसके राजनीतिक मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्र और विभिन्न राज्यों में सत्ता पर कब्जा कर लिया, तब इन पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति बच्चों के बीच घृणा उत्पन्न करने की शुरूआत की गयी। ये विकृत इतिहास को बढ़ावा देने के लिए स्कूली बच्चों के बीच पूर्वाग्रहों को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्यक्रम बना रहे है।

साम्प्रदायिक ताकतें संविधान प्रदत लोकतंत्र, मानवाधिकारों, धर्मनिरपेक्षता, जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के भेदभाव से परे सभी नागरिकों की समानता जैसे मूल्यों को खतरे में डालती रही हैं। हाल ही के वर्षों में केंद्र और कई राज्यों में साम्प्रदायिक ताकतों के सत्ता में आने से साम्प्रदायिक खतरा कई रूपों में बढ़ा है और इसने एक दैत्याकार रूप ले लिया है। राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से आर.एस.एस. ने यहां तक की स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में साम्प्रदायिक पाठों को जोड़कर अपनी नफरत की विचारधारा को बढ़ावा देने में सफलता अर्जित की है। आर.एस.एस. ने हिंदू धर्म के के अनुयाइयों के अलावा अन्य सभी समुदायों को विदेशी होने का जामा पहनाया है, और उन्हें धोखेबाज और विश्वास न करने योग्य बताया है। आर.एस.एस. के संस्थापक के. बी. हेडगेवार ने मुस्लिमों को 'फुंफकारते हुए यवन सांपों' के रूप में वर्णित किया है, 'जिनको सही जगह पर रखा जाना चाहिए या फिर उनको 'डोगे' (एक पक्षी) की तरह विलुप्त होने के वातावरण का सामना करना पड़ेगा।'

इन पाठ्यपुस्तकों में यह भी कहा गया है कि अशोक की अहिंसा की नीति के प्रचार से और बौद्ध दर्शन के बढ़ते प्रभाव ने भारत में कायरता फैलाई और आगे कहा गया है कि भारत की आजादी की लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ एक धार्मिक लड़ाई बन गयी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता और अहिंसा के प्रवर्तक महात्मा गांधी को 'दुष्टात्मा' बताया गया है जिसको 'खत्म' किया जाना चाहिए।

पहले भी, बीजेपी सरकार के सहयोग से आर.एस.एस. ने अप्रत्याशित स्तर तक अपने घृणात्मक अभियान को फैलाने में सफलता पाई है। यह मुहिम स्कूलों में नई पाठ्यपुस्तकें लाने से और भी आसान हो गयी। सच्ची एवं देशभक्त भारतीय संस्कृति फैलाने के नाम पर, अल्पसंख्यकों के खिलाफ देश में नफरत फैलाई जा रही है।

पिछले दो दशकों में आर.एस.एस. ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भड़काने के प्रयोजन से कई अग्रणी संगठन बनाये हैं। उनका अंतिम लक्ष्य धार्मिक लामबंदी के रास्ते केंद्र और राज्यों में सत्ता पर काबिज होना था। इस दौरान कई साम्प्रदायिक दंगे भड़के, हजारों बेगुनाहों ने अपनी जान से हाथ धोया। इनमें बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुजरात के दंगे प्रमुख हैं। ये दंगे युवा पीढ़ी के दिमागों में नफरत का जहर घोलने से संभव हो पाये। सरकार, नौकरशाही, पुलिस और मीडिया के पंथवादी मर्म ने इन जनसंहारों को विकराल रूप लेने में मदद की। घृणा से भरे पाठ्यक्रम के जरिये स्कूलों में शिक्षा देने ने भाजपा के लिए राह आसान कर दी थी जिससे वे गुजरात में फासीवादी भीड़ को जुटा सके, जो पूजा स्थलों पर तोड़–फोड़ और औरतों व बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार रही।

शैक्षिक पाठ्यक्रमों की मदद से आर.एस.एस. 1952 से विभाजनकारी घृणित विचारधारा को बढ़ावा दे रही है। 'सरस्वती शिशु मंदिर' के नाम से जानी जाने वाली उनकी पाठशालाओं का प्रभाव अब कई गुना बढ़ गया है। भाजपा के सता में आने के कई साल पहले प्रो. विपिन चंद्रा की अध्यक्षता में कई सम्माननीय धर्मनिरपेक्ष विद्वानों की एक 'नेशनल स्टियरिंग कमेटी ऑन टेक्सबुक इवेल्युशन' बनाई गई। इस समिति ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा तैयार रिपोर्ट की 1993–94 में समीक्षा की थी। यह रिपोर्ट आर.एस.एस. द्वारा चलाए जाने वाले सरस्वती शिशु मंदिर प्रकाशन और विद्या भारती प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की थी। सरस्वती शिशु मंदिर प्रकाशन के संबंध में समिति की संस्तुति निम्न प्रकार थी–

''सरस्वती शिशु मंदिरों द्वारा प्राथमिक स्तर पर अभी उपयोग में ली जाने वाली पाठ्य पुस्तकें इतिहास का अति साम्प्रदायिक रूप प्रस्तुत करती हैं.....। इनमें असहनीय और बहुत ही अभद्र शैली, भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ ही ऐतिहासिक तथ्यों का पूरी तरह से भ्रामक रूप प्रस्तुत किया गया है। यह पाठ्यक्रम देशभक्ति नहीं, बल्कि धार्मिक अंधता और उन्माद पैदा करते हैं। इन पाठ्य पुस्तकों को स्कूलों में मान्य नहीं किया जाना चाहिए।''

विद्या भारती प्रकाशन की समिति ने इस प्रकार समीक्षा की–

''समिति देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित विद्या भारती स्कूलों द्वारा 'संस्कृति ज्ञान' नाम से चलाए जाने वाले घोर साम्प्रदायिक लेखन के प्रकाशनों और उपयोग के बारे में अपनी चिंता जाहिर करती है। इन स्कूलों की संख्या 6000 आंकी गई है। समिति यह स्वीकार करती है कि कथित संस्कृति ज्ञान श्रृंखला की अधिकांश सामग्री, युवा पीढ़ी में संस्कृति की जानकारी बढ़ाने के नाम पर कट्टरपन और धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई हैं।

समिति का यह मानना है कि विद्या भारती विद्यालय तीव्र साम्प्रदायिक विचारों को पनपाने का जरिया बन रहे हैं......। समिति यह सिफारिश करती है कि राज्यों को इन प्रकाशन श्रृंखलाओं के उपयोग पर रोक लगानी चाहिए। राज्य सरकारों को गहन साम्प्रदायिक घृणा फैलाने वाले प्रकाशनों और इनके आधार पर विद्या भारती प्रकाशनों द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं पर भी रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। एन.सी.ई.आर.टी. की विपिन चंद्रा कमेटी की प्रस्तुत रिपोर्ट में चौथी कक्षा की एक पाठ्यपुस्तक गौरव गाथा के कुछ उद्धरण भी रेखांकित किए गए उनमें से एक कुछ इस प्रकार हैः–

''यह कहा जाता है कि सम्राट अशोक के काल में अहिंसा का प्रचार शुरू हुआ। हर प्रकार की हिंसा एक अपराध समझी जाने लगी। इसका सेना पर बुरा असर पड़ा। कायरता धीरे–धीरे पूरे साम्राज्य में फैल गई। राज्य ने ही बौद्ध भिक्षुओं को खाना देने का भार उठाया। इसलिए, लोग भिक्षु बनने लग गये। सेना के द्वारा विजय प्राप्त करना अनुचित माना जाने लगा।'' (रिपोर्ट के पृ. 30–31 से)।

इस्लाम के उदय के बारे में यह कहा गया है–

''वे जहां भी गए उन्होंने अपने हाथों में तलवार रखी। उनकी सेना चारों दिशाओं में तूफान की तरह गई। जो मुल्क उनके रास्ते में आया उसको उन्होंने तबाह कर दिया। पूजास्थल और विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया। पुस्तकालयों को जलाया गया। धार्मिक पुस्तकें नष्ट की गईं।'' (रिपोर्ट के पृ. 51–52 से)।

सरस्वती शिशु प्रकाशन, लखनऊ की कक्षा 5 की पुस्तक 'इतिहास गा रहा है' से एक उद्धरण देखें–

''इसके बाद आक्रमणकारी एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान लिए आए। असंख्य हिंदुओं का कत्ल किया गया। आजादी का संघर्ष धर्म युद्ध बन गया। धर्म के नाम पर असंख्य बलिदान हुए। हमने विदेशी शासकों को आकर बसने की कभी इजाजत नहीं दी, लेकिन हम अपने धर्म परिवर्तित साथियों को वापस हिंदू धर्म में नहीं ला सके।''(पृष्ट 3)

(यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने और मुस्लिम बन चुके हिंदुओं का पुनः धर्म परिवर्तन करने के अपूर्ण काम के लिए एक इरादतन प्रयास है।)

एन.सी.ई.आर.टी. रिपोर्ट ने इन किताबों का प्रभाव निम्न शब्दों में रखा है–

''इन किताबों का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चे जो इन स्कूलों में पढ़ने आ गये हैं उनमें अंध कट्टरपन और अंध देशभक्ति भरना है।''

विद्या भारती प्रकाशन पर एन.सी.ई.आर.टी. रिपोर्ट के कुछ अंश–

'विद्या भारती संस्थान धर्म, संस्कृति और राष्ट्रवाद की शिक्षा प्रदान करता है। इन पुस्तकों में संस्कृति ज्ञान के कुछ अंध राष्ट्रीय उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये हैं, भारत के संदर्भ में कहा गया है–'यह विश्व सभ्यता की उत्पत्ति का घर है।' उदाहरण के रूप में देखें तो एक बुकलेट (नं.9) में कहा गया है–

''भारत विश्व का सबसे पुराना देश है। जब विश्व के कई हिस्सों में सभ्यता नहीं पनपी थी, जब उन देशों के लोग नंगे रहते थे तो भारत के ऋषि–मुनि उन सभी देशों में संस्कृति और सभ्यता की अवधारणा ले गये थे।''

इसी श्रृंखला की एक पुस्तक अन्य धर्मों, और विशेष तौर पर ईसाई समुदाय को राष्ट्र विरोधी और एकता के लिए खतरा बताकर उनके खिलाफ दुर्भाव व नफरत फैलाने के लिए तैयार की गई। निम्नलिखित उद्धरण पढ़े जा सकते हैं–

भारत का विभाजन इस धर्म (ईसाई धर्म) को मानने वालों की षड्यंत्रकारी नीतियों के कारण हुआ। यहां तक कि आज भी ईसाई मिशनरियाँ नागालैंड, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, केरल और हमारे देश के अन्य हिस्सों में राष्ट्र विरोधी विचारों को प्रबलता दे रही हैं जिससे आज भी भारत की राष्ट्रीय अखंडता खतरे में है।

इस्लाम पर एक वक्तव्य इस प्रकार है–

''मूर्ति पूजा के हजारों विरोधी, जो इस्लाम को मानने वाले हैं इस्लामिक धार्मिक केंद्र 'काबा' जाकर 'शिवलिंग' की ही पूजा करते हैं। मुस्लिम समुदाय में उस काबा के काले पत्थर शिवलिंग के दर्शन की सबसे बड़ी आरजू होती है ।''

1977 में आर.एस.एस. ने विद्या भारती को सर्वोच्च अखिल भारतीय संगठन के रूप में स्थापित किया जो बच्चों को 'सही शिक्षा' दे सके। जो राष्ट्रवाद पैदा करे और हिंदुत्व की विचारधारा को फैलाये। शीघ्र ही देशभर में 500 विद्यालय खोले गये जिनमें 20,000 बच्चों ने प्रवेश लिया। 1990 में मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार ने विद्या भारती विद्यालयों की स्थापना में सहयोग दिया और उन्हें परीक्षाएं आयोजित करने व अपना पाठ्यक्रम बनाये रखने की अनुमति दी। 1990 के दशक की शुरूआत में विद्या भारती द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों की संख्या 6000, शिक्षकों की संख्या 40,000 और विद्यार्थियों की संख्या 1,20,000 हो गई थी। 1998 में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग की सरकार केंद्र में बनने से आर.एस.एस. का प्रभाव सम्पूर्ण भारत में फैला। सन् 1999 में, विद्या भारती द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों की संख्या 14,000, शिक्षकों की

80,000 और छात्रों की संख्या 1,80,000 हो गई। 1998 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार ने राज्य द्वारा संचालित स्कूलों का इस्तेमाल आर.एस.एस. विचारधारा के प्रचार–प्रसार के लिए किया। उनके शासनकाल में स्कूलों में आर.एस.एस. की शाखा लगाने की अनुमति दी गयी और सभी प्राथमिक विद्यालयों में नैतिक शिक्षा के लिए संघ प्रचारक को शामिल करने का अपरोक्ष रूप से आदेश दिया गया।

यह वह समय था जब देश को गंभीर आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा था। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व की कमी के संकट के चलते तेजी से जमीन खो रही थी। कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित इस्लामी आतंकवाद के उदय के साथ, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने जनता के बीच काफी समर्थन खो दिया था। आर एस एस एस–भाजपा ने इन राजनीतिक हालात का फायदा उठाया। भाजपा ने इन परिस्थितियों का फायदा उठाकर केंद्र और कई राज्यों में सत्ता पर कब्जा कर लिया। आर एस एस ने स्थिति को अपने पक्ष में देखकर अपने स्कूलों के माध्यम से देश में अपने नफरत का अभियान फैलाना तेज किया। आर एस एस ने गुजरात को एक मॉडल राज्य के रूप में घोषित किया, जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने में सफल रही। गुजरात में गोधरा कांड और स्कूलों में युवा मन में फैलाए गए नफरत के जहर के बीच समाज वैज्ञानिकों ने एक संबंध पाया है।.कक्षा 9 के छात्रों को सिखाया जाता था कि–

मुस्लिमों के अलावा ईसाई, फारसी और अन्य विदेशी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में पहचाने जाते हैं। कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम, ईसाई और सिख तुलनात्मक रूप से बहुसंख्यक हैं।

गुजरात राज्य में कक्षा 10 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में फासीवाद और नाजीवाद की अत्यंत प्रशंसा की गई हैः–

'हिटलर ने जोर देकर घोषणा की थी कि जर्मन पूरी दुनिया में केवल शुद्ध आर्य थे और वे दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए थे। यह सुनिश्चित करने के लिए जर्मन लोगों ने इस आदेश को सख्ती से लागू करवाने के लिए फासीवाद के सिद्धांतों को अपनाया। यह जर्मनी के शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। पाठ्यपुस्तकों में लिखा गया था– 'हिटलर हमारे नेता हैं और हमें उनसे प्यार है।'

फासीवाद की आंतरिक उपलब्धियां–

'हिटलर ने एक मजबूत प्रशासनिक ढ़ांचा तैयार करके कम समय के भीतर जर्मन राष्ट्र को सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करायी। उसने जर्मनी को एक विशाल राज्य बनाया। उसने यहूदी लोगों का विरोध करने वाली और जर्मन जाति के वर्चस्व की वकालत करने वाली नीतियों को अपनाया। उसने एक नई आर्थिक नीति अपनायी और जर्मनी में समृद्धि लायी गयी ....।'

पुस्तक में जर्मनी में नाजियों द्वारा लाखों यहूदी लोगों के जनसंहार का उल्लेख नहीं किया गया है। नाजियों द्वारा हासिल किये गये राष्ट्रवाद, कुशल प्रशासन, आर्थिक समृद्धि विधियों

का अनुमोदन आदि की चर्चा की गई है पर इनके द्वारा अपनाये गये तरीकों पर सवाल नहीं उठाये गये हैं। वास्तव में आर एस एस ने इस तरह के पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हिटलर की तारीफ करके अपनी नीतियों को ही मौन स्वीकृति दी थी। आर एस एस की पाठ्य पुस्तकें इतिहास पर ध्यान नहीं देतीं बल्कि ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों के साथ इतिहास का विकृत स्वरूप प्रस्तुत करती हैं।. इन पुस्तकों का मुख्य तर्क है कि मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और वे औरों के साथ शांति से नहीं रह सकते हैं। वे पाशविक और अनैतिक हैं।

आर एस एस के संस्थापक हेडगेवार का मानना है कि मुसलमान फुंफकारते हुए यवन सर्प की तरह हैं। उसने यह भी लिखा है कि मुस्लिम और ईसाई विदेशी हैं और केवल आर्य ही असली भारतीय हैं। आर्य भारत के बाहर से आये लेकिन भारत के असली निवासी बने।

भाजपा सरकार ने सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल इतिहास की वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष व्याख्या को कमजोर करने में और राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर सांप्रदायिक इतिहास लेखन को बढ़ावा देने के लिए किया। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा वर्ष 2000 में किसी की भी आम सहमति प्राप्त किये बिना एक नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) की शुरुआत की गई। शिक्षा, केन्द्र एवं राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र का विषय होने के नाते संविधान में वर्णित समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए, यह एक स्वस्थ तथा लोकतांत्रिक परंपरा रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली किसी भी प्रमुख पहल को चर्चा के लिए संसद में रखा जाता है। साथ ही यह शिक्षा के लिए निर्मित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में भी चर्चा के लिए रखा जाता है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड एक सरकारी निकाय है जिसमें सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री शामिल होते हैं। वर्ष 2000 में पाठ्यक्रम कुछ पेशेवर शिक्षाविदों की मदद के साथ एन सी ई आर टी द्वारा तैयार किया गया। भाजपा पहले ही एन सी ई आर टी में नए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए अपनी विचारधारा से सहानुभूति रखने वालों को नियुक्त कर चुकी थी। इन्होंने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को कोई अहमियत नहीं दी जो परंपरा और प्रक्रियागत आवश्यकताओं का उल्लंघन है। भाजपा शासन के दौरान एन सी ई आर टी की पुस्तकों से वे अंश हटा दिये गये जो एक सरकारी संस्था राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा रोमिला थापर, आर.एस.शर्मा और सतीश चंद्र जैसे प्रमुख इतिहासकारों द्वारा तैयार करवाये गये थे।

इस प्रकार तैयार की गयीं यह किताबें लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति संदेह पैदा करने और अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक लेखन को प्रोत्साहित करने के साथ धर्मनिरपेक्ष इतिहास को बदलने के उद्देश्य के साथ लिखी गईं।

मीडिया, धर्मनिरपेक्ष, इतिहासकार और बुद्धिजीवियों के एक बड़े तबके ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के साम्प्रदायीकरण के विरोध में आवाज उठाई। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन

और भारत के पूर्व राष्ट्रपति के. आर. नारायण जैसे महत्वपूर्ण लोगों ने सरकार के इस कार्य की निंदा की। सांप्रदायिक तत्वों ने न केवल पाठ्य पुस्तकें बदलीं बल्कि उन लोगों पर भी हमला शुरू कर दिया, जो भारतीय इतिहास की इस व्याख्या के साथ सहमत नहीं थे। आर एस एस प्रमुख के.जी. सुदर्शन ने एन सी ई आर टी पाठ्यपुस्तकों के सुधार एवं संशोधन का विरोध करने वालों को– 'हिंदू विरोधी तथा यूरोपीय भारतीय कहा।'

के.जी. सुदर्शन ने आगे कहा कि इन लोगों को वैदिक गणित के बारे में ज्ञान नहीं है कि प्राचीन भारतीय परमाणु ऊर्जा और हवाई विमानों का निर्माण करने की प्रौद्योगिकी को जानते थे। सुदर्शन ने मांग की है कि इतिहासकार रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा और अर्जुन देव को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हिंदुत्व आंदोलन के कुछ नेताओं ने इसे देश की सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए युद्ध कहा। शिक्षा के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने भी धर्मनिरपेक्ष विद्वानों को सीमा पार आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक बताया।

धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों का मानना है कि भारतीय इतिहास को विकृत रूप में पेश करने के सांप्रदायिक प्रयास और इसे संकीर्ण देशभक्ति व भारत की महानता के अंध प्रदर्शन के द्वारा वास्तव में इतिहास को बिल्कुल उलट दिया गया है।

पिछले कुछ समय में संघ परिवार के द्वारा संचालित प्रकाशनों ने अपनी प्रकाशित पुस्तकों के द्वारा जिस तरह के कुप्रचार को चला रखा है वह इनमें प्रकाशित बातों में साफ–साफ दिखता है। भारतीय इतिहास की मुख्य बातें/अवधारणायें, जो इन एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकों के नये प्रकाशनों में मुख्य तौर पर प्रस्तुत की गयी हैं, उन्हें संक्षेप में इस तरह रखा जा सकता हैः–

1. भारत को आर्यों का मूल स्थान बताया गया है। द्रविड़ एवं आस्ट्रो–एशियाटिक भाषाओं को बोलने वाले लोगों के मूल स्थान के बारे में बताने से कोई सरोकार नहीं रखा गया है।
2. भारतीय सभ्यता का मूल आधार वैदिक–सभ्यता है, इस समझ को इतना महत्व दिया गया है जितना इतिहासकार देने को तैयार नहीं हैं। आगे कहा गया है कि वैदिक सभ्यता ने सिन्धु घाटी सभ्यता को गले लगाया और अब उसे 'सिन्धु–सरस्वती सभ्यता' कहा जाना चाहिए, और इसका श्रेय आर्यों को जाता है।
3. सभी मौलिक एवं महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों (शून्य से दशमलव एवं खगोलशास्त्र तक) को वैदिक सभ्यता की खोजें बताया गया है।
4. हिन्दू धर्म अन्य सभी धर्मों से श्रेष्ठतर है। किसी भी धर्म में प्राप्त धर्म दर्शन की तुलना में उपनिषदों का धर्म–दर्शन सर्वोच्च है। बौद्ध और जैन दर्शनों के विचार/सिद्धांत भी उपनिषदों पर आधारित हैं। ईसाइयों के विपरीत हिन्दु कालक्रम निर्धारण को कोई रुकावट नहीं मानते (अपने धर्म दर्शन की व्याख्या में)। हिन्दु अपने धार्मिक आधार के कारण सच्चे देशभक्त हैं। आधुनिक दौर में

चली आजादी की लड़ाई में भी अकेले वे (हिन्दु) ही पूरी तरह समर्पित थे जबकि मुसलमानों की निगाह एक मुस्लिम साम्राज्य या एक अलग राष्ट्र पर केन्द्रित थी। मध्यकालीन दौर में मुसलमानों में तथा आधुनिक दौर में ईसाइयों पर नस्लवाद बुरी तरह हाबी था।

5. शुरूआती दौर में जातिप्रथा (वर्ण व्यवस्था) एकदम ठीक–ठाक थी। इस प्रथा में कट्टरता (असमानता या दलितों का उत्पीड़न) बाद के दौर में आयी। वास्तव में दलितों को इतिहास से बाहर रखा गया।

6. प्राचीन एवं मध्यकालीन दौर में कायम रही 'जौहर' तथा 'सती' प्रथाओं पर उदासीन रवैया ही नहीं बरकरार रखा गया है बल्कि इनकी तारीफों के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपहरण करके विवाह की प्रथा को मान्य किया गया है, इस तरह की समझ महिलाओं की गरिमा की भावना को आहत करती है।

7. विदेशियों के जरिये भारत को बहुत थोड़ी सी या बिल्कुल ही नहीं– ज्ञान या जानकारी मिली है, जबकि भारत ने पूरी दुनिया को संस्कृति के तमाम मामलों में जानकार बनाया है।

8. उत्पीड़न–दमन और मंदिरों को विध्वंस करने के अलावा मुसलमान भारत में नया कुछ भी नहीं लाये। मुसलमानों के संदर्भ में मध्यकालीन इतिहास का उल्लेख करते समय ढूंढ़–ढूंढ़ कर केवल नकारात्मक घटनाओं (काले अध्यायों) को ही रखा गया है, जबकि प्राचीन इतिहास के इस तरह के काले अध्यायों का जिक्र करना जरूरी नहीं समझा गया है।

9. 'साझी विरासत' के विकसित होने की प्रक्रिया को या तो तवज्जो नहीं दी गयी या बिल्कुल हल्के–फुल्के में लिया गया है। मध्यकालीन इतिहास के वर्णन में कबीर के लिए केवल एक वाक्य कहकर ही काम चला लिया गया है (और वहीं दूसरी तरफ गुरू गोविंद सिंह को देवी दुर्गा के भक्त के रूप में पेश किया गया है)।

10. जहां 'मुस्लिम अलगाववाद' को आधुनिक भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी पैदा करने वाले तथ्य के रूप में रखा गया है, वहीं हिन्दु साम्प्रदायिकता का जिक्र भी नहीं किया गया है। साथ ही साथ हिन्दु महासभा के नेताओं को महान देशभक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

11. आधुनिक दौर के महान मूल्यों– लोकतंत्र, लैंगिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आदि में हो रही बढ़ोत्तरी को या तो छोड़ दिया गया है या इन्हें छोड़ते हुए चुपचाप आगे बढ़ लिया गया है।

12. भारत के समाज सुधारकों– राम मोहन रॉय, केशव चन्द्र सेन, जोतिबा फुले और यहां तक कि बी.आर. अम्बेडकर तक को या तो छोड़ दिया गया है या इनके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र कर दिया गया है। ऐसा करके यह संदेश दिया गया है कि गोया कि परम्परागत हिन्दु समाज को किसी प्रकार के समाज सुधार की जरूरत ही नहीं थी।

13. राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्यधारा के बतौर मौजूद रहे धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक तत्वों को गैर अहमियत वाला माना गया है अथवा इन्हें (हिन्दु) सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विकास के रास्ते में बाधक माना गया है। उदारवादियों के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जवाहर लाल नेहरू, वामपंथियों और खासतौर पर कम्युनिस्टों को या तो नजरंदाज करने की कोशिश की गयी है या इनके बारे में जानबूझ कर वैमनस्यपूर्ण ढंग से रोशनी डाली गयी है।

इन पुस्तकों के पीछे संकीर्णता, पूर्वाग्रह एक मार्गदर्शक तत्वों के रूप में सक्रिय नजर आते हैं। इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर इनमें से आपत्तिजनक भाषा, भ्रामक तथ्यों तथा तय किये गये मानदण्डों को हटा भी दिया जाय तो भी यह पुस्तकें स्वीकार करने के काबिल नहीं हैं क्योंकि कई कई मामलों में इन पुस्तकों में दिये गये बुनियादी तर्क तथा तथ्य ही त्रुटिपूर्ण हैं। हकीकत तो यह है कि इन पुस्तकों की पृष्ठभूमि में कार्यरत मुख्य विचारों को बदले बगैर पुस्तक के गलत तथ्यों, मूल्यांकन के आधारों को बदलना– नाकाफी होगा।

इन पाठ्यपुस्तकों को संकीर्णता से उबारने के लिए इन तथाकथित शिक्षाविदों और कर्ताओं की टिप्पणियों को पूरी तरह वापस लिये जाने की जरूरत है। यह पाठ्यपुस्तकें अल्पसंख्यकों के प्रति लोगों के मन में अविश्वास उत्पन्न करने के उद्देश्य के साथ लिखी गई हैं और इनमें यह बताया गया है कि आर्य मध्य एशिया से नहीं आये उनकी उत्पति भारत में ही हुई है और वैदिक सभ्यता भारत की अन्य सभी सभ्यताओं से श्रेष्ठ है।

अब, एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार सत्ता में आयी है और इसने राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई सांप्रदायिक प्रचार नीति से देश को बचाने के लिए पहल की है। लेकिन समस्या यह है कि भाजपा कई राज्यों में सत्ता में रहने के कारण अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूर्वाग्रहों से भरे हुए स्कूली पाठ्य पुस्तकों को जारी रखे हुए है। नागरिक समाज समूह और धर्मनिरपेक्ष विद्वान व जनता इन पुस्तकों की वापसी की मांग कर रहे हैं। परंतु आरएसएस द्वारा संचालित हजारों सरस्वती शिशु मंदिरों और ज्ञान भारती स्कूलों में देश भर के लाखों बच्चों को पक्षपाती पाठ्यपुस्तकों के द्वारा वे शिक्षा दे रहे हैं।

अभ्यास–1

एक–दूसरे को जानना–समझना

अभ्यास का उद्देश्य

- ☐ एक–दूसरे के बारे में जानना–समझना।
- ☐ अल्पसंख्यकों के बारे में सहभागियों की धारणा को जानना।
- ☐ आपसी रिश्तों तथा जान–पहचान की शुरूआत, समूह में आपसी तालमेल।

फेसिलिटेटर नोट : प्रक्रिया से संबन्धित

कार्यशाला में आये सहभागियों को आराम से अपना स्थान ग्रहण करने को कहें। इसके बाद उनकी व्यवस्थागत दिक्कतों के बारे में बातचीत करें। (यदि कार्यशाला आवासीय है तो) रहने, खाने, फोन आदि की व्यवस्था के बारे में उन्हें बतायें। अपनी संस्था/संगठन की तरफ से उनका स्वागत करें एवं अपना परिचय दें तथा परिचय सत्र को विधिवत आरंभ करें। शुरूआत में सहभागियों को एक–एक कर अपना परिचय देने को कहें। **नाम, स्कूल का नाम, आप किस कक्षा को पढ़ाते हैं और क्या विषय पढ़ाते हैं ?** परिचय खत्म होने पर विस्तृत रूप से परिचय के लिए बोर्ड/दीवार पर परिचय के बिंदु की सूची को लगाएं। इसके बाद उन्हें इन बिंदुओं पर व्यक्तिगत रूप से विचार करने को कहें। साथ ही उन्हें यह भी याद दिला दें कि वे अपने विचारों को नोट बुक में भी लिखें। (यह कार्य वे वहीं हाल में या बाहर कहीं एकांत में बैठकर कर सकते हैं।) विस्तार से परिचय के लिए फेसिलिटेटर परिचय बिंदुओं को चार्ट पेपर पर लिख लें और समय रहते इसे दीवार पर या बोर्ड पर चिपका दें। आपकी मदद के लिए परिचय बिंदुओं की एक सूची उदाहरण स्वरूप दी जा रही है–

- ☐ अलग–अलग संस्कृति, धर्म, मूल्य, परिवेश तथा मान्यताओं से आने वाले बच्चों को पढ़ाने में आपको किस तरह कि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
- ☐ इन बच्चों में क्या आर्थिक, सामाजिक भिन्नताएं हैं ?
- ☐ इस कार्यशाला से आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं ?

वापस बड़े समूह में लौटने पर प्रत्येक सहभागी अपनी बात को औरों के सामने रखे। फेसिलिटेटर टीम के साथी परिचय सत्र के दरम्यान सहभागियों के द्वारा दी जा रही जानकारियों को गंभीरता से नोट करें जिससे अलग–अलग संस्कृति, धर्म, मूल्य, परिवेश तथा मान्यताओं से आने वाले बच्चों को पढ़ाने में सहभागियों की चुनौतियों की पूरी जानकारी हमारे पास लिपिबद्व हो सके। इन जानकारियों का कार्यशाला संचालन में महत्वपूर्ण स्थान है। समूह बनाने में इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। **कार्यशाला के संबंध में सहभागियों की अपेक्षाओं को एक चार्ट पेपर में नोट करके दीवार पर चिपका दें।**

अभ्यास–2

कार्यशाला के उद्देश्य का स्पष्टीकरण

अभ्यास का उद्देश्य

- ☐ कार्यशाला के उद्देश्यों के प्रति सहभागियों में स्पष्टता तथा उनकी जिज्ञासा की पूर्ति।
- ☐ कार्यशाला के संचालन का माहौल तैयार करना।
- ☐ सहभागियों तथा फेसिलिटेटर टीम के बीच सहजता कायम करना।
- ☐ कार्यशाला की आधार भूमि का निर्माण।

अभ्यास कार्य :-

फेसिलिटेटर द्वारा चार्ट पेपर पर कार्यशाला के उद्देश्य का स्पष्टीकरण

- ☐ अल्पसंख्यकों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों, कानूनी ढ़ांचों को जानना–समझना।
- ☐ अल्पसंख्यकों की स्थिति तथा इनसे जुड़ी मानसिकता को जानना–समझना।
- ☐ अल्पसंख्यकों के बारे में एक खास तरह की मानसिकता के कारणों, प्रभावों तथा चुनौतियों को जानना–समझना।
- ☐ इनसे निपटने की रणनीति पर समझ बनाना।

फेसिलिटेटर नोट : प्रक्रिया से संबन्धित

कार्यशाला का उद्देश्य स्पष्ट करते समय भी सहभागियों की अपेक्षाओं का ध्यान रखें साथ ही यह भी बतायें कि इस कार्यशाला की आवश्यकता क्यों महसूस की गयी ? इस प्रशिक्षण को करने की सोच कहाँ से उत्पन्न हुई ?

उद्देश्यों के संदर्भ में मांगे गये स्पष्टीकरणों का धैर्य के साथ जवाब दें। सहभागियों की कार्यशाला से अपेक्षाओं के संदर्भ में भी स्पष्ट करें कि उनकी किन अपेक्षाओं को कार्यशाला में समाहित किया जा सकता है तथा कार्यशाला की सीमाओं की बाध्यतावश कौन सी अपेक्षाओं को इस कार्यशाला में पूरा नहीं किया जा सकता।

इसके बाद कार्यशाला आयोजक अपनी संस्था/संगठन के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दें।

एक बार पुनः सभी सहभागियों का स्वागत करते हुए व्यवस्थागत दिक्कतों के बारे में उनसे पुनः पूछें।

इसके बाद कार्यशाला संचालन के संदर्भ में भी राय मांगें तथा कार्यशाला की समय–सारिणी तय कर लें। कार्यशाला संचालन की विधि का भी सहभागियों की राय से निर्धारण कर लें।

यदि समय काफी हो गया हो तो पहले दिन की कार्यवाही को यहीं पर समाप्त कर दें या सहभागियों की राय से चाय–पानी का ब्रेक कर दें। सभी सहभागियों को प्रशिक्षण हाल के बाहर के क्रियाकलापों, बातचीत तथा विचार–विमर्श का मौका उपलब्ध करायें। इससे आपसी रिश्तों में सहजता तथा निकटता का सूत्रपात होगा।

अभ्यास–3

अभ्यास का उद्देश्य

अल्पसंख्यकों के बारे में सहभागियों के नज़रिये को जानना–समझना

अभ्यास कार्य :-

समय– 10 मिनट

यह अभ्यास व्यक्तिगत रूप में करना है।

- ☐ अल्पसंख्यक शब्द सुनते ही आपके दिमाग में किस तरह का चित्र उभरता है ? तथा अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं ? अपनी नोट बुक में लिखें।

(इसी कार्य को दस मिनट बाद छोटे–छोटे समूह में करने को दिया जाय।)

(इसके बाद प्रस्तुतीकरण)

(प्रस्तुतीकरण में आये बिन्दुओं को समाहित करते हुए अल्पसंख्यक क्या हैं ? फेसिलिटेटर द्वारा इनपुट देना।)

फेसिलिटेटर नोट : प्रक्रिया से सम्बन्धित

यदि सहभागियों की संख्या दस–ग्यारह है तो दो समूह बनायें। एक समूह में 5–6 से ज्यादा सहभागी न हों तो बेहतर रहेगा ऐसा करने से समूह में एक जीवंत चर्चा होगी तथा सभी की पूरी सहभागिता होने की प्रबल संभावना रहेगी। सहभागियों को लगातार आपसी चर्चा के लिए प्रोत्साहित करते रहें। जब सभी सहभागियों का व्यक्तिगत कार्य हो जाये तब उन्हें समूहों में अभ्यास कार्य करने के लिए बोलें। समूह से कहें कि इस बिंदु पर समूह की समझ को वे चार्ट पेपर पर लिख लें और फिर बड़े समूह में एक–एक कर समूह की समझ को प्रस्तुत करें।

संदर्भ सामग्री

अल्पसंख्यक क्या हैं ?

भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द का उल्लेख अनुच्छेद–29 से लेकर अनुच्छेद–30 और अनुच्छेद–350(अ) से अनुच्छेद 350(ब) में हुआ है। लेकिन इसे स्पष्ट रूप से कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। मसलन, अनुच्छेद–29 ''नागरिकों का ऐसा वर्ग जिसकी भाषा, लिपि या संस्कृति विशिष्ट हो'' की बात करता है। अनुच्छेद–30 में अलबत्ता अल्पसंख्यकों की दो विशिष्ट श्रेणियों–धार्मिक एवं भाषाई का उल्लेख है।

वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा से सम्बन्धित एक विशेष उप–समिति ने 'अल्पसंख्यकों' को एक ऐसे वर्चस्वहीन समूह के रूप में परिभाषित किया है जो अपनी जातीय, धार्मिक, और भाषाई परम्पराओं या विशिष्टताओं को बरकरार रखने की चाहत रखते हैं।

आम तौर पर भारत में हिन्दू धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों का अनुसरण करने वालों को 'अल्पसंख्यक' माना जाता है। इस लिहाज से राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह माना जाता है।

अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार, ''अल्पसंख्यक से आशय एक ऐसे समुदाय से है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया है।'' {धारा 2(7)} इस प्रावधान के तहत कार्रवाई करते हुए 23 अक्टूबर, 1993 को केन्द्र सरकार ने मुसलमान, इसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी समुदायों को ''अल्पसंख्यक'' के रूप में अधिसूचित कर दिया।

टीएमए पई फाउन्डेशन व अन्य बनाम कर्नाटक सरकार व अन्य वादों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अल्पसंख्यक–चाहे वह भाषाई हो अथवा धार्मिक–का निर्धारण एक राज्य के सन्दर्भ में ही किया जाना चाहिए, न कि देश की कुल जनसंख्या के आधार पर।

इस प्रकार, जम्मू–कश्मीर और केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड जैसे राज्यों में इसाई बहुसंख्यक हैं। पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं।

अभ्यास–4

अभ्यास का उद्देश्य

अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित कानूनों तथा सवैधानिक प्रावधानों को जानना–समझना

अभ्यास कार्य :- बड़े समूह में खुली चर्चा

- ☐ चर्चा के लिए सवाल :– अल्पसंख्यकों के लिए कौन–कौन से कानून तथा संवैधानिक प्रावधान हैं ?

(चर्चा में आये बिन्दुओं को समाहित करते हुए अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित कानूनों तथा संवैधानिक प्रावधानों के बारे में सहभागियों की जानकारी बढ़ाने के लिए इनपुट देना।)

फेसिलिटेटर नोट : प्रक्रिया से सम्बन्धित

इस अभ्यास की शुरूआत करते हुए फेसिलिटेटर सहभागियों से कहें कि इस अभ्यास को बड़े समूह में चर्चा करके हम अल्पसंख्यकों के लिए कौन–कौन से कानून तथा संवैधानिक प्रावधान हैं ? समझने का प्रयास करेंगे। सहभागियों को अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करें लेकिन उन्हें अपनी बात कहने के लिए बाध्य भी न करें। सहभागियों द्वारा कही गयी बातों को चार्ट पर नोट करते जायें।

कुछ सहभागियों की अलग–अलग राय हो सकती है तथा हो सकता है कि वह किसी एक राय पर न पहुंच पायें। उन पर एक राय कायम करने का दबाव डालने के बजाय उभर रहे अलग–अलग बिन्दुओं को महत्व दिया जाये।

अलग–अलग पृष्ठभूमि एवं अनुभवों के कारण सहभागियों की बातों में गुणात्मक अन्तर हो सकते हैं। इनपुट इस प्रकार दिया जाये कि पूरे समूह का ध्यान अल्पसंख्यकों की मौजूदा स्थिति की तरफ़ केन्द्रित हो सके।

संदर्भ सामग्री

अल्पसंख्यकों के बोर में जुड़े संवैधानिक प्रावधान

अल्पसंख्यकों के अधिकारों से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र (1992) राष्ट्रों को अपनी सीमाओं के भीतर अल्पसंख्यकों के वजूद एवं उनकी पहचान को सुरक्षित रखने का निर्देश देता है। घोषणा–पत्र यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बगैर किसी भेदभाव के पूर्ण एवं कारगर रूप से समानता पर आधारित अपने मानवाधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकें। यह घोषणा–पत्र एक उपयुक्त वातावरण तैयार करता है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी विशिष्टताओं का बेहिचक अनुशरण कर सकें और अपनी संस्कृति, भाषा, धर्म, रीति और रिवाजों का विकास कर सकें।

भारत में संविधान का अनुच्छेद–15 और 16 राज्य को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म–स्थान के आधार पर भेदभाव करने से निषेध करता है और जनसमुदाय के सभी वर्गों में पूर्ण समानता स्थापित करता है।

अनुच्छेद–15 राज्य को इस बात की अनुमति देता है कि वह महिलाओं, बच्चों, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करे।

अनुच्छेद–16 भी राज्य को यह अनुमति देता है कि वह उन पिछड़े वर्गों, जिनका राज्य की नजर में सरकारी सेवाओं में आवश्यक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है, के लिए सरकारी पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करे।

अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए 'रंगनाथ मिश्र आयोग ने कहा है कि ''वर्ग'' और ''जाति'' शब्द एक–दूसरे के पर्याय नहीं हैं और उनका अर्थ एक नहीं है। जाति अथवा धर्म के साथ–साथ सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर किया गया सकारात्मक भेदभाव संवैधानिक रूप से अनुमन्य है। इसलिए एक विशेष परिस्थिति में एक जाति अथवा धार्मिक समूह को एक 'वर्ग' के रूप में माना जा सकता है। लिहाजा अनुच्छेद–15 भले ही अल्पसंख्यकों की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है, परंतु ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय, स्पष्ट रूप से ''सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों'' के दायरे में अनुच्छेद–16 के तहत आते हैं।

इंदिरा शहाणे व अन्य बनाम भारत सरकार के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक पूरे समुदाय को उसके सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर एक ''वर्ग'' के तौर पर माना जा सकता है।

''राज्य के नीति–निर्देशक तत्व'' वाले अध्याय के अनुच्छेद–46 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह ''समाज के कमजोर तबकों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करे।''

धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा

नागरिक अधिकार (संरक्षा) अधिनियम 1955 के तहत वर्ष 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के निम्नलिखित कार्य तय किये गयेः–

1. केन्द्र एवं विभिन्न राज्यों के अन्तर्गत आने वाले अल्पसंख्यकों के विकास एवं प्रगति का आकलन करना।
2. अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित संविधान प्रदत्त संरक्षात्मक उपायों एवं संसद और राज्य की विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों की निगरानी करना।
3. अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए किये गये उपायों के कारगर क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार को उचित एवं आवश्यक सिफारिशें करना।
4. अल्पसंख्यकों को अधिकारों से वंचित करने से सम्बन्धित शिकायतों की जांच करना और इस प्रकार के मामलों को उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष उठाना।
5. अल्पसंख्यकों के प्रति किये जाने वाले भेदभाव से उपजी समस्याओं का अध्ययन, सर्वेक्षण और विश्लेषण करना तथा इन समस्याओं को हल करने के उपाय सुझाना।
6. केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना।
7. अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित, विशेषकर उनकी समस्याओं से जुड़ी विशेष रिपोर्ट केन्द्र सरकार को पेश करना।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से जुड़े एक अहम मसले पर टिप्पणी करते हुए रंगनाथ मिश्र आयोग ने कहा कि अनुच्छेद–338 और 338(अ)की धारा (9) में यह प्रावधान है कि केन्द्र एवं प्रत्येक राज्य सरकार को अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से जुड़े अहम मसलों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग से सलाह–मशविरा करना चाहिए। लेकिन इसी आशय का प्रावधान अल्पसंख्यकों के सन्दर्भ में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 में नहीं किया गया है।

अल्पसंख्यक शिक्षण–संस्थान अधिनियम, 2004 के तहत एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो केन्द्रीय अथवा किसी भी राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों की शिक्षा से जुड़े मसलों पर मशविरा देगा। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी अल्पसंख्यक शिक्षण–संस्थान और विश्वविद्यालय के बीच मान्यता को लेकर कोई विवाद होता है तो आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। कहने का मतलब यह है कि अल्पसंख्यकों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को विस्तार से जाने बगैर अल्पसंख्यकों के बारे में सही समझ नहीं बन सकती।

यद्यपि भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है और इसमें सिर्फ धर्म और भाषा आधारित अल्पसंख्यकों का जिक्र है, संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का विस्तृत विवरण है।

भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को दो किस्म के अधिकार मुहैया कराता है। इन्हें ''सामान्य'' एवं ''विशेष'' की श्रेणी में रखा जा सकता है। ''सामान्य'' श्रेणी में रखे गए अधिकारों में वे अधिकार हैं जो सभी आम नागरिक पर लागू होते हैं, और ''विशेष'' श्रेणी में रखे गए अधिकारों में वैसे अधिकार जो सिर्फ अल्पसंख्यकों से संबद्ध हैं और उनकी पहचान को सुरक्षित रखने से जुड़े हैं। ''सामान्य'' एवं ''विशेष'' श्रेणी के बीच के अन्तर एवं उनके मेल को संविधान में बेहतर ढंग से सुरक्षित रखा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारतीय गणराज्य को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है और धार्मिक अल्पसंख्यकों के सन्दर्भ में इसकी विशेष प्रासंगिकता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए संविधान की प्रस्तावना में घोषित यह तथ्य भी बेहद प्रासंगिक है कि भारत के सभी नागरिक को कहने एवं अभिव्यक्ति सम्बन्धी स्वतंत्रता हासिल है और वे पद एवं अवसर की समानता से लैस हैं।

अल्पसंख्यकों के ''सामान्य'' अधिकार–

राज्य के नीति–निर्देशक तत्व (संविधान भाग–IV) और संविधान के भाग–III में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है जिसका निर्वहन राज्य करता है और जिसका अनुपालन न्यायिक रूप से कराया जा सकता है।

संविधान के भाग–IV में अधिकारों के कुछ अन्य समुच्चय भी हैं जो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। ये अधिकार 'राज्य के नीति–निर्देशक तत्व' के रूप में जाने जाते हैं, हालांकि कानूनी रूप से राज्य पर बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन देश के प्रशासनिक संचालन के लिए बुनियादी तत्त्व हैं और राज्य का यह कर्त्तव्य है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करे। (अनुच्छेद–37)

संविधान के भाग–IV में वर्णित ''नीति–निर्देशक तत्त्व'' में अल्पसंख्यकों के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैंः–

1. राज्य का दायित्व है कि देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले एवं विभिन्न पेशों से संबद्ध किसी व्यक्ति विशेष या जनसमुदाय की हैसियत, सुविधाओं एवं अवसरों में व्याप्त असमानता को दूर करे। (अनुच्छेद–38(2))
2. राज्य का दायित्व है कि ''कमजोर वर्गों के लोगों'' के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बेहतर बनाने के लिए विशेष ध्यान दें। (अनुच्छेद–46)

संविधान के भाग–IV A। में अल्पसंख्यकों समेत समस्त नागरिकों के कर्त्तव्यों का वर्णन है। अल्पसंख्यकों के संदर्भ में अनुच्छेद–51 A में निम्नलिखित बातें महत्त्वपूर्ण हैंः–

1. नागरिकों का यह कर्त्तव्य है कि वे समस्त भारतवासियों के बीच धर्म, समुदाय, जाति और क्षेत्रीय भावना से रहित सद्भाव और भाईचारे की भावना को प्रेरित करें।
2. नागरिकों का यह कर्त्तव्य है कि साझी विरासत एवं समन्वित संस्कृति को बहुमूल्य समझें एवं उसे सुरक्षित रखें।

संविधान का भाग III, जिसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र है, दो भागों में विभाजित है– (i) वैसे अधिकार जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, (ii) वैसे अधिकार जो विशिष्ट श्रेणी में आते हैं।

सामान्य श्रेणी में आने वाले अधिकार निम्नलिखित हैंः

1. विधि के समक्ष समानता और समान विधि का अधिकार (अनुच्छेद–14)
2. धर्म समुदाय, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधर पर भेदभाव से निषेध का अधिकार (अनुच्छेद 15(1) और (2)

3. सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का राज्य का प्राधिकार (अनुच्छेद15(4))

4. रोजगार एवं राज्य के तहत आने वाले किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के सन्दर्भ में ''अवसर की समानता'' का अधिकार और धर्म, समुदाय, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव से निषेध का अधिकार (अनुच्छेद 15(1) और (2)

5. उन पिछड़े वर्गों के लिए, जिनका राज्य के मुताबिक राज्य के तहत आने वाली सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ हो, नियुक्तियों अथवा पदों को आरक्षित करने का राज्य का प्राधिकार (अनुच्छेद 16(4))

6. अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं किसी भी धर्म को मानने, प्रचार एवं प्रसार की स्वतंत्रता; बशर्ते लोक–व्यवस्था, नैतिकता तथा अन्य मौलिक अधिकारों का हनन न हो। (अनुच्छेद 25(1))

7. प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपनी मान्यता के अनुरूप धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्था बनाने, अपने धार्मिक मसलों के प्रबंधन करने एवं चल–अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करने की स्वतंत्रता; बशर्ते लोक–व्यवस्था, नैतिकता एवं सामाजिक समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। (अनुच्छेद 26)

8. किसी धर्म विशेष के प्रचार–प्रसार के लिए किसी व्यक्ति विशेष से जबरन कर वसूली से निषेध (अनुच्छेद–27)

9. राज्य द्वारा संचालित, मान्यता प्राप्त अथवा अनुदानित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक आयोजनों एवं रस्मों में शामिल होने सम्बन्धी स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद–28)

अल्पसंख्यकों के अधिकारों की "विशिष्ट" श्रेणी

संविधान में अल्पसंख्यकों को प्रदत्त कुछ अधिकार विशिष्ट श्रेणी में आते हैं, जो निम्नलिखित हैंः–

1. प्रत्येक समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार। (अनुच्छेद 29(1))
2. राज्य द्वारा संचालित, अंगीभूत अथवा अनुदानित किसी भी शैक्षिक संस्थान में धर्म, समुदाय, जाति, भाषा एवं अन्य किसी आधार पर प्रवेश देने से इन्कार पर प्रतिबन्ध। (अनुच्छेद 29(2))
3. सभी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान खोलने एवं संचालन का अधिकार। (अनुच्छेद 30(1))
4. राज्य द्वारा अनुदान प्रदान करने के मामले में अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों के साथ भेदभाव का निषेध। (अनुच्छेद 30(2))
5. राज्य के समुदाय विशेष द्वारा बोली जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रावधान (अनुच्छेद 347)
6. प्रारम्भिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा का प्रावधान। (अनुच्छेद 350 I)
7. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान एवं उसके कर्त्तव्यों का निर्धारण। (अनुच्छेद 350 (बी))
8. सिख समुदाय को कृपाण धारण का अधिकार {(अनुच्छेद 25 (1)}

अभ्यास – 5

अभ्यास का उद्देश्य

अल्पसंख्यकों की हालात पर सहभागियों के सोच व नज़रिये में स्पष्टता

अभ्यास कार्य

☐ आपकी राय से अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है ?

(इस अभ्यास के आधार पर समूह कार्य दिया जायेगा। अभ्यास पर काम कर लेने के बाद ही समूहों का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।)

फेसिलिटेटर नोट : प्रक्रिया से सम्बन्धित

यदि सहभागियों की संख्या दस–ग्यारह है तो दो समूह बनायें। एक समूह में 5–6 से ज्यादा सहभागी न हों तो बेहतर रहेगा, जिससे समूह में एक जीवंत चर्चा होगी तथा सभी की पूरी सहभागिता होने की प्रबल संभावना रहेगी। सहभागियों को लगातार आपसी चर्चा के लिए प्रोत्साहित करते रहें। चूंकि सभी सहभागी अलग–अलग अनुभव तथा पृष्ठभूमि से होंगे इस विषय की संवेदनशीलता को समझते हुए उनकी राय का सम्मान करें तथा कोशिश करें कि चर्चा के दौरान सभी सहभागी अपनी बात बेबाक रख सकें। समूह से कहें कि इस बिंदु पर समूह की समझ को वे चार्ट पेपर पर लिख लें और फिर बड़े समूह में एक–एक कर समूह की समझ को प्रस्तुत करें।

चर्चा में उभरे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आधार बनाते हुए अल्पसंख्यकों की मौजूदा हालात पर समझ निर्माण करने वाला इनपुट दिया जाये।

संदर्भ सामग्री

अल्पसंख्यकों की स्थिति

भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों (विशेषकर मुसलमानों) की दशा को समझने के लिए सच्चर समिति की रिपोर्ट पर गौर करना जरूरी है। सच्चर समिति ने भारतीय मुसलमानों के बारे में विभिन्न सरकारी एजेन्सियों, बैंकों, अल्पसंख्यक आयोग और विभिन्न राज्य सरकारों एवं उसकी एजेन्सियों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों के आधार पर एक विस्तृत विश्लेषण किया है। समिति की रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैः–

1. समिति के मुताबिक मुसलमानों में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। मुसलमानों एवं आम आवाम के बीच साक्षरता की यह खाँई शहरी क्षेत्रों और महिलाओं के बीच बहुत ही चौड़ी है। 6–14 वर्ष की आयु के ज्यादातर मुसलमान बच्चों ने या तो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है या फिर बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है।
2. मुसलमान माता–पिता मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली के विरूद्ध नहीं हैं और वे अपने बच्चों को किफायती सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं। समिति ने पाया है कि सरकारी विद्यालयों तक मुसलमान माता–पिता के बच्चों की पहुंच सीमित है।
3. समिति का मानना है कि बीड़ी मजदूरों, दर्जी एवं मैकेनिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे के भीतर रखा जाना चाहिए, क्योंकि पेशेवर एवं प्रबंधकीय कैडर में मुसलमानों की भागीदारी कम है।
4. मुसलमानों को बैंकों द्वारा प्रदत्त औसत ऋण अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को प्रदान की जाने वाली कुल ऋण राशि का दो–तिहाई हिस्सा है। कुछ मामलों में तो यह आधा है। प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रमों (1993) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग एवं ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों का फायदा मुख्य रूप से अन्य अल्पसंख्यकों को मिला है और मुसलमान हाशिये पर ही पड़े रह गये हैं।
5. छोटे गांवों में मुसलमान आबादी एवं शैक्षिक आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता के बीच बिल्कुल स्पष्ट और उल्टा रिश्ता है। मुस्लिम बहुल गांवों में पक्की सम्पर्क सड़क एवं बस–पड़ाव की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
6. आईएएस सेवा में मुसलमानों की भागेदारी मात्र 3 प्रतिशत, आईएफएस में 1.8 प्रतिशत और 4 प्रतिशत आईपीएस सेवा में हैं।
7. मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भारतीय रेलवे में मात्र 4.5 प्रतिशत है। इनमें से 98.7 प्रतिशत निचले स्तर पर पदास्थापित हैं। बैंकों एवं विश्वविद्यालयों में मुसलमानों

की भागीदारी बहुत ही कम है। मात्र 6 प्रतिशत मुसलमान पुलिस कान्सटेबल हैं। स्वास्थ्य विभाग में उनकी उपस्थिति 4.4 प्रतिशत और परिवहन विभाग में 6.5 प्रतिशत है।

8. अधिकांश सूचकांक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के हिन्दुओं के मुकाबले अन्य पिछड़ा वर्ग के मुसलमानों की स्थिति दयनीय है और वे वंचना के शिकार ज्यादा हैं। वर्क–पार्टिसिपेशन रेट (डब्लूपीआर) यह दर्शाता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (67%) और मुसलमानों के बीच एक तीखा अन्तर मौजूद है। सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के हिन्दुओं के मुकाबले पिछड़े वर्ग के मुसलमानों की भागीदारी बेहद ही कम है।

9. देश भर में लगभग पांच लाख पंजीकृत वक्फ हैं जिनके पास छह लाख एकड़ भूमि तथा छह हजार करोड़ रूपये की बुक वैल्यू है।

धार्मिक अल्पसंख्यक एवं उनकी स्थितिः–

1. **शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक संयोजनः**– रंगनाथ मिश्र आयोग के अनुसार, वर्ष 1991 एवं 2001 के आंकड़े यह संकेत करते हैं कि मुसलमानों में हिन्दुओं और सिखों की अपेक्षा अधिक शहरीकरण हुआ है। हालांकि आयोग ने यह भी कहा है कि मुसलमानों के अलावा इसाइयों, बौद्धों तथा जैनों की एक बड़ी आबादी शहरों में निवास करती है। दरअसल अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के मुकाबले जैन सबसे अधिक शहरी हैं।

2. **लिंगानुपातः**– वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, सभी धर्मावलंबियों को मिलाकर राष्ट्रीय लिंगानुपात 933 का है। इसमें से इसाईयों में लिंगानुपात सबसे ऊंचा–1009 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। इसके उलट सिखों में सबसे कम 893 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। मुसलमानों में लिंगानुपात 936 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं, जोकि राष्ट्रीय औसत से थोड़ा ही अधिक है। 1991–2001 की अवधि में सभी धार्मिक समुदायों के बीच लिंगानुपात का राष्ट्रीय औसत 927 (1991) से बढ़कर 933 (2001) हुआ है। इसी अवधि में मुसलमानों के बीच यह 930 से बढ़कर 936, इसाइयों के बीच 994 से बढ़कर 1009 और सिखों के बीच 888 से बढ़कर 893 हुआ है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात का राष्ट्रीय औसत 927 है, जोकि कुल राष्ट्रीय औसत 933 से कम है। मुसलमानों (950) को छोड़कर सभी धार्मिक समुदायों के बीच शिशु लिंगानुपात में गिरावट आई है।

3. **बुजुर्गों (60 वर्ष और उससे ऊपर आयु वाले) की जनसंख्याः**– रंगनाथ मिश्र आयोग के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का 7.45 प्रतिशत बुजुर्ग आबादी है, वहीं मुसलमानों के बीच यह आबादी अन्य धार्मिक समुदायों के मुकाबले सबसे कम (5.75 प्रतिशत) है। इसका सीधा अर्थ यह है कि मुस्लिम समुदाय में जीवन स्तर अभी नीचे है।

4. **विवाह के समय आयुः**— रंगनाथ मिश्र आयोग के अनुसार, 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाले पुरुषों में 51.3 प्रतिशत हिन्दू थे वहीं 47 प्रतिशम मुसलमान थे। इसी प्रकार, 17 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाली महिलाओं में 37 प्रतिशत हिन्दू और 43.2 प्रतिशत मुसलमान थीं। जहां तक 10 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह का प्रश्न है, इसकी तादाद कुल विवाह का तीन प्रतिशत है। इसका प्रचलन बौद्धों में (2.8 प्रतिशत), मुसलमानों में (2.2 प्रतिशत) है। हिन्दुओं में यह 2.6 प्रतिशत है।

5. **गृहस्थी का औसत आकारः**— रंगनाथ मिश्र आयोग द्वारा प्रायोजित जनवरी 2006 में पांच राज्यों (महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल) में किये गये एक अध्ययन में यह पाया गया कि अल्पसंख्यक समुदायों में गृहस्थी का औसत आकार 3.4 व्यक्तियों का है। गृहस्थी का सबसे छोटा आकार (2.75 व्यक्ति) पारसी समुदाय में तथा सबसे बड़ा आकार (3.5 व्यक्ति) मुसलमानों में है। संयुक्त परिवार का सबसे अधिक चलन मुस्लिम समुदाय में (12.4 प्रतिशत) है।

6. **साक्षरता दरः**— मुसलमानों में साक्षरता दर (59.1 प्रतिशत) है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। आंकड़ों के विश्लेषण से यह पाया गया कि मुसलमानों में साक्षरता की स्थिति अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति से बेहतर है। जहां तक पुरुष साक्षरता एवं स्त्री साक्षरता के बीच अन्तर का सवाल है, हिन्दुओं में यह सबसे अधिक (23 प्रतिशत) है, जो बौद्धो में (21.4 प्रतिशत) और मुसलमानों में (17.5 प्रतिशत) है।

7. **शैक्षिक स्तरः**— रंगनाथ मिश्र आयोग ने पाया है कि स्नातक तक शिक्षित लोगों के मामले में जैन सबसे आगे हैं और इस समुदाय के (21.47 प्रतिशत) लोग स्नातक हैं। इसके बाद इसाइयों (8.71प्रतिशत) और सिखों (6.94प्रतिशत) का नम्बर आता है। मुसलमान इस मामले में सबसे पीछे (3.6 प्रतिशत) है। प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में मुसलमान हालांकि बेहतर स्थिति (65.31प्रतिशत) में हैं लेकिन माध्यामिक शिक्षा (10.96 प्रतिशत) और उच्च माध्यमिक शिक्षा (4.53 प्रतिशत) तक आते–आते मुसलमान कमजोर पड़ने लगते हैं।

8. **शिशु मृत्यु दरः**— रंगनाथ मिश्र आयोग की रपट में कहा गया है कि मुसलमानों, इसाइयों, सिखों, जैन और बौद्धों के मुकाबले हिन्दुओं में शिशु मृत्यु–दर अपेक्षाकृत अधिक है।

9. **बच्चों में पोषण की स्थितिः**— रंगनाथ मिश्र आयोग ने पाया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं मुसलमानों के बच्चे आम–तौर पर कुपोषण के शिकार होते हैं। जबकि जैन, सिख, बौद्ध एवं इसाइयों के बच्चे बेहतर पोषण पाते हैं।

10. **जन्म दरः**— भारत में जन्म दर आम तौर पर ऊंची है। जन्म दर के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए रंगनाथ मिश्र आयोग ने कहा है कि मुसलमानों में यह 3.59 प्रतिशत, अनुसूचित जाति में 3.15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति में 3.06

प्रतिशत है। 40–49 वर्ष की आयु वाली विवाहित महिलाओं से जन्म लेने वाले बच्चों का औसत सबसे अधिक मुसलमानों में (5.72) पाया जाता है। इसके बाद अनुसूचित जाति (4.85) अनुसूचित जनजाति (4.74), अन्य पिछड़ा वर्गों (4.43), हिन्दुओं (4.34) और बौद्धों (4.25) का नम्बर आता है। सबसे कम जन्मदर जैनों (3.32) में है।

11. **आवासीय सुविधाएंः**— रंगनाथ मिश्र आयोग की मानें तो पक्के मकानों की उपलब्ध्ता के लिहाज से मुसलमान सबसे पीछे हैं (23.76 प्रतिशत)। कच्चे मकानों में रहने वालों में सबसे अधिक मुसलमान (34.63 प्रतिशत) हैं। किराये के मकान में रहने वालों में सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों (43.74 प्रतिशत) की है।

12. **गरीबीः**— वर्ष 1999–2000 में भारत सरकार द्वारा विभिन्न धार्मिक समुदायों में व्याप्त गरीबी के आकलन के लिए एक अध्ययन कराया गया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि मुसलमानों एवं सिखों के सिवाय बाकी सभी धर्मावलंबियों के संदर्भ में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक गरीबी है। शहरी गरीबों में मुसलमानों की तादाद सबसे अधिक (36.92 प्रतिशत) है।

13. **औसत आयः**— प्रति परिवार औसत मासिक आमदनी, रंगनाथ मिश्र आयोग के अनुसार, 2,103 रुपए मात्र है। धार्मिक स्तर पर सबसे अधिक औसत मासिक आमदनी पारसियों (3484 रुपए) का है। इसके बाद इसाइयों (1906 रुपए) एवं मुसलमानों (1832 रुपए) का नम्बर आता है।

14. **निर्भरता अनुपातः**— मुसलमानों में सबसे अधिक युवा निर्भरता अनुपात (778) और सबसे कम वृद्ध निर्भरता अनुपात (109) पाया जाता है। शायद यही वजह है अन्य धार्मिक समुदायों के मुकाबले उनके आर्थिक पिछड़ेपन की।

अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थितिः— भारतीय संविधान महिलाओं को न केवल समानता प्रदान करता है, बल्कि राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे महिलाओं के हितों को संरक्षित और विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठायें।

लेकिन हकीकत में समानता और सम्मान महिलाओं के लिए अभी भी सपना है। शैक्षणिक क्षेत्र में हिस्सेदारी एवं साक्षरता के लिहाज से मुसलमान महिलाओं की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार तो हुआ है, लेकिन कन्या शिशु मृत्युदर अभी भी इस समुदाय में काफी ऊंचा है। 0–6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंगानुपात बहुत ही दयनीय स्थिति में है। रंगनाथ मिश्र आयोग के अनुसार समूचा उत्तरी एवं पश्चिमी भारत वस्तुतः कन्या शिशु (जन्मी व अजन्मी) की मरणस्थली के रूप में कुख्यात हो चुका है।

महिलाओं एवं बालिकाओं के पक्ष में विभिन्न कानूनों के बावजूद मुस्लिम समुदाय में महिलाओं की स्थिति पितृसत्तात्मक मान्यताओं के अनुसार तय होती हैं।

अभ्यास–6

अभ्यास का उद्देश्य

समाज में अल्पसंख्यको के बारे में प्रचलित धारणाओं तथा उनके आधारों पर समझ का निर्माण करना।

अभ्यास कार्य

यह अभ्यास मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर होगा।

- ☐ आपकी राय में बच्चों में अल्पसंख्यकों के बारें में प्रचलित धारणायें क्या हैं?
- ☐ इन धारणाओं के आधार क्या हैं?

(इन दो बिन्दुओं के आधार पर समूह कार्य दिया जायेगा। दोनों बिन्दुओं पर काम कर लेने के बाद ही समूहों का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।)

फेसिलिटेटर नोट : प्रक्रिया से सम्बन्धित

फेसिलिटेटर अभ्यास देते समय स्पष्ट करें कि सहभागी पहले बिन्दु पर अभ्यास पूरा कर लें उसके बाद ही दूसरे बिन्दु पर अभ्यास कार्य शुरू करें। समूह से कहें कि वे इन बिंदुओं पर समूह की समझ को चार्ट पेपर पर लिख लें और फिर बड़े समूह में एक–एक कर समूह की समझ को प्रस्तुत करें।

प्रस्तुतीकरण में निकल कर आये महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करें। विषय की संजीदगी तथा संवेदनशीलता को समझते हुए सहभागियों को अपनी राय रखने का पूरा मौका दें। फेसिलिटेटर समाज में प्रचलित धारणाओं, उनके आधार तथा कारणों पर एक विस्तृत इनपुट इस प्रकार दें कि शिक्षण कार्य में आने वाली चुनौतियों पर सहभागियों का ध्यान केन्द्रित हो सके।

संदर्भ सामग्री

अल्पसंख्यकों के बारे में प्रचलित धारणाऐं

शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की पुस्तकों में अल्पसंख्यकों के विरूद्ध पूर्वाग्रह और पुस्तकों पर बहुसंख्यकों के सांस्कृतिक, खासतौर से धार्मिक प्रभाव को साफतौर पर देखा जा सकता है। एनसीईआरटी ने संविधान की भावना के अनुकूल समाज में मिलीजुली संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से पुस्तकों के पाठ में संशोधन किया है। केन्द्र में हिन्दुत्ववादी राजनीति में यकीन रखने वाली पार्टियों के शासन में आने के बाद 1970 और 1980 के दशक में जो पुस्तकें तैयार की गईं थीं उनके पाठों में कई तरह के परिवर्तन किए गए। 31 दिसंबर, 1968 को केन्द्र सरकार ने नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्टबुक का गठन किया था। इस संस्था को ही भाषा, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और गणित की पुस्तकें तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जून, 1968 में राष्ट्रीय एकता परिषद ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के उद्देश्य के लिए स्कूलों की पुस्तकों को तैयार करने पर जोर दिया था। लेकिन भारत की संसदीय व्यवस्था में अल्पसंख्यक की अवधारणा का विरोध और हिन्दुत्व को राष्ट्रीयता के आधार पर विकसित करने की राजनीति की अहम भूमिका रही है। इस राजनीति ने भी स्कूल की पुस्तकों को अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने का एक जरिया बनाने की कोशिश की। उसी उद्देश्य के तहत हिन्दुत्ववादी राजनीति करने वाली पार्टियों की सरकार ने पूर्व से चल रही पुस्तकों के पाठ में परिवर्तन किया। कांग्रेस की अगुवाई में बनी यू.पी.ए. सरकार ने एन.सी.ई.आर.टी. से कहा कि वे अल्पसंख्यकों के बारे में पूर्वाग्रहग्रस्त अवधारणाओं को पाठ्य पुस्तकों से हटा दें।

शिक्षा का विषय संविधान की समवर्ती सूची में हैं। भारतीय गणतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में केन्द्र और प्रदेशों की सरकार, दोनों ही, शिक्षा के संबंध में फैसले करती है। प्रदेशों में जब हिन्दुत्ववादी राजनीति में यकीन रखने वाली पार्टी या पार्टियों की सरकार होती है तो वहां स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में वह परिवर्तन के कार्यक्रम तैयार करती है। उदाहरण स्वरूप 2009 में जब केन्द्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकर थी तब हिमाचल प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार थी और उसने एनसीईआरटी की ग्याहरवीं में पढाई जाने वाली हिन्दी की पाठ्य पुस्तक से मशहूर चित्रकार एम एफ हुसैन के पाठ को हटाने का फैसला किया और उसकी जगह पर पंजाब के चित्रकार शोभा सिंह और रूस के चित्रकार निकोलस रोएरिक का पाठ शामिल कर लिया। हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन के अध्यक्ष के मुताबिक प्रदेश की सरकारें एनसीईआरटी की पुस्तकों की सामग्री में 20 प्रतिशत सामग्री परिवर्तित कर सकती हैं।

ब्रिटिशकाल में तैयार पुस्तकों में सबसे ज्यादा जोर दो धार्मिक समूहों के बीच दंगे फसाद

और तनाव पर था लेकिन स्वतंत्रता के बाद तैयार पुस्तकों में तनाव और झगड़े के बजाय हिन्दू और मुस्लिम भाईचारे और मिश्रित संस्कृति के विकास पर जोर दिया गया। अकबर के शासन काल को समाज में भाईचारे और एकता को प्रदर्शित करने के उदाहरण के रूप में पेश करने पर जोर दिया गया। स्कूलों में पुस्तकों को तैयार करने के राजनीतिक उद्देश्यों के विवाद कई बार भारतीय समाज में सामने आए हैं। लेकिन इनसे परे कुछ और महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनपर ध्यान नहीं जाता है। पाठ्य पुस्तकों की भाषा में बहुसंख्यकों के वर्चस्व और अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रहों को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है । उदाहरण के लिए आमतौर पर कहा जाता है कि स्कूल शिक्षा के मंदिर हैं। मंदिर बहुसंख्यकों की धार्मिक आस्था के केन्द्र होते हैं। भारत माता को हिन्दू देवी देवताओं के वेशभूषा और मुद्राओं में पेश किया जाता है।

बच्चों की मानसिक संरचना

बच्चों की पहले एक मानसिक संरचना तैयार होती है। इसमें परिवार और उसके आसपास के समाज की सबसे बड़ी भूमिका होती है। घर में बोली जाने वाली भाषा धार्मिक और जातीय पूर्वाग्रहों व धार्मिक व जातीय वर्चस्व के ढांचे पर खड़ी होती है। उनका संप्रेषण अपने आप ही एक खास तरह की मानसिक बुनावट तैयार करता है। बच्चों को सुनायी जाने वाली कहानियों का बड़ा हिस्सा धार्मिक किस्से–कहानियों का होता है। लेकिन वे कहानियां और किस्से मनोरंजन के माध्यम नहीं होते है बल्कि वास्तविकता के रूप में अपनी जगह बच्चों के मानसिक धरातल पर बना लेती हैं। वास्तविकता के रूप में बताने का एक बड़ा कारण ये है कि उन कहानियों और किस्से से जोड़ने वाली विभिन्न तरह की गतिविधियां सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा बनी हुई हैं। बच्चों का एक अच्छा खासा समय स्कूलों में गुजरता है। स्कूलों में वह पाठ्य पुस्तकें पढ़ता है। धर्मान्धता की राजनीति करने वाले संगठनों ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई तरह की शिक्षण संस्थाएं खड़ी की हैं। उनमें स्कूलों की तादाद अच्छी खासी है। इन स्कूलों की अपनी पाठ्य पुस्तकें है। ये बच्चों के खेल–कूद की गतिविधियों को भी संचालित करते हैं।

अभ्यास – 7

अभ्यास का उद्देश्य

शिक्षण कार्य में अल्पसंख्यकों के प्रति बच्चों की पूर्वधारणा को लेकर आने वाली चुनौतियों पर समझ का निर्माण करना।

अभ्यास कार्य

- ☐ शिक्षण कार्य में अल्पसंख्यकों के प्रति बच्चों की पूर्वधारणाओं को लेकर आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ?

(इस अभ्यास के आधार पर समूह कार्य दिया जायेगा। अभ्यास पर काम कर लेने के बाद ही समूहों का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।)

फेसिलिटेटर नोट : प्रक्रिया से सम्बन्धित

फेसिलिटेटर प्रस्तुतीकरण के बाद सहभागियों से कहें कि इस अभ्यास के माध्यम से हमने शिक्षण कार्य में अल्पसंख्यकों के प्रति बच्चों की पूर्वधारणाओं को लेकर आने वाली चुनौतियों पर समझ बनाने का प्रयास किया है लेकिन हमें शिक्षण कार्य में अल्पसंख्यकों के प्रति पाठ्यक्रम को लेकर किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस पर भी समझ बना लेनी चाहिए। सहभागियों की सहमति के बाद उन्हें अभ्यास आठ करने के लिए दिया जाना चाहिए। फेसिलिटेटर अभ्यास आठ के प्रस्तुतीकरण के बाद ही इन दोनों अभ्यासों पर इनपुट दें।

अभ्यास–8

अभ्यास का उद्देश्य

शिक्षण कार्य में अल्पसंख्यकों के प्रति पाठ्यक्रम को लेकर आने वाली चुनौतियों पर समझ का निर्माण करना।

अभ्यास कार्य

☐ एक शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य में अल्पसंख्यकों के प्रति पाठ्यक्रम को लेकर आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ?

(इस अभ्यास के आधार पर समूह कार्य दिया जायेगा। अभ्यास पर काम कर लेने के बाद ही समूहों का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।)

फेसिलिटेटर नोट : प्रक्रिया से सम्बन्धित

फेसिलिटेटर सहभागियों से कहें कि हम इस अभ्यास को उन्हीं पुराने समूहों में करेंगे। पिछले अभ्यास में हमने शिक्षण कार्य में अल्पसंख्यकों के प्रति बच्चों की पूर्वधारणाओं को लेकर आने वाली चुनौतियों पर समझ बनाने का प्रयास किया है इस अभ्यास में शिक्षण कार्य में अल्पसंख्यकों के प्रति पाठ्यक्रम को लेकर किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इस पर समझ बनाने की कोशिश करते हैं। सहभागियों को 5–6 लोगों के छोटे समूह में बांटे। प्रस्तुतीकरण के बाद ही फेसिलिटेटर अभ्यास 7–8 पर इनपुट दें।

संदर्भ सामग्री

शिक्षण कार्य में आने वाली चुनौतियां

शिक्षकों के सामने कई मुश्किलें हैं। इतिहास को तोड़–मरोड़कर पेश करने के कारण जो दिक्कतें आती हैं वह तो स्पष्ट हैं लेकिन उसके अलावा दूसरी समस्याएं है। जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के ज्यादातर शिक्षक इतिहास को पढ़ाने से डरने लगते हैं, क्योंकि वह जब इतिहास के तथ्यों की व्याख्या इतिहास के संदर्भ में करतं हैं तो उसका विधार्थी कभी–कभी उसे एक शिक्षक के बजाय अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य के रूप में देखने लगता है। मानविकी (ह्यूमनिटिज़) विषयों के शिक्षकों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। समय के साथ इतिहास की भाषा और शब्दों को कैसे ठीक किया जाए ? जैसे मध्यकाल को पढ़ाने के दौरान 'म्लेच्छ' शब्द आता है। वह गंदा और मुसलमान के रूप में संप्रेषित होता है।

विद्यार्थियों की मानसिक संरचना

विद्यार्थियों में अल्पसंख्यकों, खासतौर से इस्लाम धर्म को मानने वालों की पहचान, उनके व्यवहार, उनकी भाषा को लेकर एक खास तरह की मानसिकता बनी हुई है। जैसे पर्दा प्रथा के बारे में ये कहा जाता है कि भारत में विदेशियों के आने के बाद से महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा आयी। जबकि पर्दा प्रथा इस समाज में महिला विरोधी दूसरी प्रथाओं जैसे सती प्रथा आदि के साथ पहले से मौजूद रही है। लेकिन होता यह है कि साम्प्रदायिक प्रचारक अपनी सामग्री को इस तरह से तैयार करते हैं ताकि उसे सच मानने की कुछ सामग्री आम जीवन में दिखाई देने लगे। पर्दा का अर्थ बुर्के के रूप में स्थापित किया गया है जो बुर्का मुस्लिम समाज की महिलाएं पहनती हैं। लेकिन मुस्लिम समाज की बहुत सारी महिलाएं बुर्का नहीं भी पहनती हैं। श्रमिक मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहनती हैं। पूरी मुस्लिम आबादी उर्दू नहीं बोलती है। मलयालम का मुस्लिम मलयालम और भोजपुर का मुस्लिम भोजपुरी बोलता है। लेकिन छवि ये बनी हुई है कि मुस्लिम केवल उर्दू बोलते व पढ़ते हैं। एक खास तरह की मानसिकता बनने से पूरा अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक मानसकिता के आक्रमणों का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान और मुसलमान को एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मुसलमान मदरसे में पढ़ते हैं। ये आम धारणा है। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि केवल चार प्रतिशत मुस्लिम बच्चे ही मदरसों में जाते हैं। ये तथ्य तो शायद ही कोई सुनने को तैयार हो कि मदरसों में हिन्दू बच्चे भी पढ़ते हैं। मदरसों को इस्लामिक कट्टरपंथियों के केन्द्र के रूप में प्रचारित किया गया है। पश्चिम बंगाल के मदरसों में हिन्दू विद्यार्थियों की तादाद को बढ़ते देखा गया है। वहां वे विज्ञान और तकनीक की आधुनिक शिक्षा लेने के लिए उन्हीं केन्द्रों को प्राथमिकता दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कम से कम चार तो ऐसे मदरसे हैं जिनमें

मुसलमानों से ज्यादा हिन्दूओं के बच्चे पढ़ रहे हैं। चार मदरसों में उत्तर दिनाजपुर जिले में कस्बा एम एम हाई मदरसा , कूचबिहार में एकमुखा सफियाबाद हाई मदरसा, वर्दमान में ओरग्राम चतुस्पल्ली हाई मदरसा और पश्चिम मिदनापुर में चंद्रकोना इस्लामिक हाई मदरसा है। कस्बा में एक हजार से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं जबकि ओरग्राम में 868 विद्यार्थी हैं। बाकी दोनों में संख्या कम है। एक चन्द्रकोना में 312 और एकमुखा में 418 विद्यार्थी हैं। इन संस्थानों में हिन्दू विद्यार्थियों की तादाद 57 प्रतिशत से 64 प्रतिशत तक है। कस्बा में हिन्दू विद्यार्थियों की तादाद 618 है जबकि ओरग्राम में 554 है। शिक्षकों में भी गैर मुस्लिम सदस्य हैं। कुल 506 मदरसों में जहां गैर मुस्लिम छात्रों की तादाद 17 प्रतिशत है वहीं शिक्षकों की तादाद 11 प्रतिशत है। सिखों और ईसाईयों द्वारा संचालित संस्थानों में भी हिन्दूओं की तादाद अच्छी खासी होती है। बिहार में किस तरह से शिक्षा प्रणालियां काम करती रही हैं इस पर डा. बाल्मीकि महतो ने एक पुस्तक लिखी है – 'बिहार में स्कूली शिक्षा व्यवस्था'। ब्रिटिशकाल के पहले से मदरसा और पाठशाला दो शिक्षा प्रणालियां थीं। लेकिन न तो पाठशाला सिर्फ हिन्दूओं के बच्चों को शिक्षित करने के लिए थी और ना ही मदरसे केवल मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए थे। पाठशालाओं में मुस्लिम शिक्षक भी पढ़ाते थे और मदरसों में हिन्दू शिक्षक काम करते थे। लेकिन दोनों प्रणालियों में हिन्दुओं व मुसलमानों के पढ़ने–पढ़ाने के तथ्यों के साथ एक बात यह जरूर जुड़ी है –मदरसों में हिन्दुओं में उन जातियों के छात्र पढ़ते थे जिन्हें पिछड़े वर्ग का कहा जाता है जबकि संस्कृत विद्यालयों में केवल ज्यादातर बड़ी जाति के विद्यार्थी ही पढ़ते थे। मदरसों में जहां नामांकन आसान था वहीं संस्कृत विद्यालयों में नामांकन असंभव सा था। मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी दर्स से हुई है जिसका अर्थ ज्ञान का केन्द्र होता है।

अभ्यास – 9

अभ्यास का उद्देश्य

कार्यनीति पर समझ का निर्माण करना

अभ्यास कार्य : यह अभ्यास मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर होगा।

- ☐ बच्चों की मानसिकता के स्तर पर।
- ☐ पाठ्यक्रम की पुस्तकों के स्तर पर।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं ?

(इन दो बिन्दुओं के आधार पर समूह कार्य दिया जायेगा। दोनों बिन्दुओं पर काम कर लेने के बाद ही समूहों का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।)

फेसिलिटेटर नोट : प्रक्रिया से सम्बन्धित

फेसिलिटेटर अभ्यास देते समय स्पष्ट करें कि सहभागी पहले बिन्दु पर अभ्यास पूरा कर लें उसके बाद ही दूसरे बिन्दु पर अभ्यास कार्य शुरू करें। प्रस्तुतीकरण में निकल कर आये महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करें। प्रस्तुतीकरण में निकल कर आये महत्वपूर्ण बिन्दुओं को समाहित करते हुए फेसिलिटेटर इनपुट इस प्रकार दें कि सहभागियों का ध्यान समस्याओं के समाधान पर केन्द्रित हो सके।

संदर्भ सामग्री

चूंकि प्रशिक्षण कक्ष में बैठ कर बच्चों की मानसिकता के स्तर पर एवं पाठ्यक्रम की पुस्तकों के स्तर पर एक शिक्षक के रूप में नियोजन की अपनी व्यवहारिक सीमाएं हैं इसलिए आपकी सुविधा हेतु इन चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्य बिंदु नीचे दिए जा रहे हैं–

- ☐ देश दुनिया के मुस्लिमों की तस्वीरें प्रस्तुत करनी चाहिए। उन्हें बोलते, घुमते, नाचते–गाते, यानी विभिन्न संस्कृतियों के बीच धार्मिक क्रियाकलापों की अलग–अलग विशेषताएं होती हैं।
- ☐ स्कूल में संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावना को लेकर समय समय पर पाठ होना चाहिए।
- ☐ पाठ्य पुस्तकों में शब्द और भाषा को नये संदर्भ में पढ़ाने के स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। जैसे 'मलेच्छ' शब्द को कैसे पढ़ाएं। हरिजन और चमार शब्द को कैसे पढाएं।
- ☐ स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल एवं उत्सव नहीं करने के कड़े निर्देश होने चाहिए।
- ☐ शिक्षकों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए।
- ☐ शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ–साथ ओरिएंटेशन कार्यक्रम किए जाने चाहिए।
- ☐ स्कूलों में धार्मिक पूर्वाग्रहों को तोड़ने वाली फिल्में, नाटक दिखाए जाने चाहिए।
- ☐ मुहल्ले, गलियों और कालोनियों में पूरी दुनिया में विभिन्न धर्मों के लोगों की विभिन्न संस्कृतियों के बीच अपने–अपने तरीके से रहने की तस्वीरें दिखाई जानी चाहिए।
- ☐ अल्पसंख्यकों के प्रति दुराग्रह विकसित करने वाले प्रचारों का खंडन करना चाहिए। लेकिन ये खंडन खंडन की तरह नहीं लगे, बल्कि समाज के बेहतर निर्माण के लिए जरूरी तथ्यों के रूप में पेश करना चाहिए।
- ☐ बुर्के की प्रथा महिलाओं में किन–किन रूपों में जारी है, इसकी तस्वीर पेश की जानी चाहिए।
- ☐ किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों के बीच आक्रमणकारी हो सकते हैं, इसका एक तथ्यात्मक लेखा जोखा पेश करना चाहिए।

अभ्यास–10

अभ्यास का उद्देश्य

सहभागियों द्वारा कार्यशाला का मूल्यांकन

सहभागियों द्वारा कार्यशाला का मूल्यांकन–

- ☐ कार्यशाला से जो अपेक्षायें थीं वे कितनी पूरी हुईं।
- ☐ कार्यशाला को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव।

फेसिलिटेटर नोट : प्रक्रिया से सम्बन्धित

फेसिलिटेटर स्पष्ट करें कि सहभागी इन दो बिन्दुओं के आधार पर कार्यशाला का मूल्यांकन करें। कार्यशाला का मूल्यांकन सहभागी अपनी नोट बुक में या बड़े समूह में खुली चर्चा करके कर सकते हैं। यदि सहभागी मूल्यांकन पर चर्चा करते हैं तो फेसिलिटेटर द्वारा महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नोट कर लेना चाहिए।

इसके बाद फेसिलिटेटर सहभागियों से उम्मीद करते हुए कह सकता है कि आपने इस कार्यशाला में जो जाना–समझा है उससे आपकी दृष्टि में स्पष्टता आयी होगी जिससे आपको शिक्षण कार्य में आसानी होगी। भविष्य में फोन, पत्र या ईमेल के माध्यम से संपर्क में रहेंगे। इसी के साथ कार्यशाला की समाप्ति की घोषणा की जाये।

पॉपुलर एजूकेशन एण्ड एक्शन सेंटर (पीस) प्रतिबद्ध और अनुभवी लोगों का ऐसा समूह है जो स्थानीय एवं व्यापक स्तर पर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में प्रयत्नशील है।

इस क्रम में जीवनयापन के लिए जूझ रहे व्यक्तियों एवं समुदायों और अपनी अस्मिता को बचाए रखने तथा जनतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत जन समूहों की जानकारी एवं ज्ञान में बढ़ोत्तरी करना पीस का मुख्य सरोकार रहा है।

विगत कुछ वर्षों से पीस समान सोच वाले समूहों और जन संगठनों के बीच संवाद की प्रक्रिया चला कर व्यापक स्तर पर चलने वाले जन आंदोलन और गठबंधन की प्रक्रिया को भी मजबूत करने हेतु प्रयत्नशील है।

minority
rights
group
international

सीमित वितरण हेतु
जनहित में
पॉपुलर एजूकेशन एण्ड एक्शन सेंटर (पीस)
ए–124/6, दूसरी मंजिल
कटवारिया सराय, नई दिल्ली–16
द्वारा प्रकाशित
अक्टूबर, 2011